Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **झुंझुनू में पी.एच.ई.डी. का अधिशासी अभियंता एवं उसकी पत्नी 60 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *18 मई, बुधवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर झुंझुनू इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये रामसिंह अधिशासी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी खण्ड खेतड़ी, जिला झुंझुनू को उसकी पत्नी श्रीमती इन्द्रा सहित परिवादी से 60 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की झुंझुनू इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके द्वारा करवाये गये विभिन्न कार्यों के 5 लाख 54 हजार रुपये के बकाया बिलों के भुगतान की एवज में रामसिंह अधिशासी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी खण्ड खेतड़ी, जिला झुंझुनू द्वारा कमीशन के रूप में 70 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जयपुर के **उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री विष्णुकान्त** के सुपरवीजन में झुंझुनू इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री इस्माईल खान** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये रामसिंह पुत्र श्री नौरंग सिंह निवासी ग्राम देदूसर, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनू हाल निवासी वार्ड नं0 31, न्यू कॉलोनी, गली नं0 2, नोर्थ पिलानी, झुंझुनू को अपने निवास पर परिवादी से 60 **हजार रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एसीबी टीम के पहुंचने पर आरोपी के कहने पर उसकी पत्नी श्रीमती इन्द्रा द्वारा रिश्वत राशि मकान के एक कमरे में स्थित चारपाई के नीचे फेंक दिये, जहां से रिश्वत राशि बरामद की जा चुकी है। प्रकरण में श्रीमती इन्द्रा को भी गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।